राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	581/2021 **रतनलाल बनाम संगीता** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/04/2026 को पेश हो |	
17/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14/10/2013 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/01/2018 पारित करते हुये उभयपक्षों को ता-फैसला मूल वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है किन्तु ऐसा नही कर अपीलार्थी द्वारा सीधे ही इस अपील के माध्यम से अन्तरिम आदेश को चुनौती दिया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य जाहिर नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा मियाद का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य भी स्वीकार योग्य प्रतीत नही होते है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन अन्तरिम आदेश के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर एवं उसमे कोई हस्तक्षेप किये बगैर न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों की अनुपालना किये जाने के निर्देश प्रदान किया जाना उचित समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधींनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 20/01/2018 में कोई हस्तक्षेप	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रतनलाल बनाम संगीता हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	581/2021	

किये बगैर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है तथा न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वे दोनों पक्षों की सुनवाई कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुये 30 दिवस में युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।